न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2021 **G.C.M.S. No. 2021/13** **दर्ज दिनांक : 15.01.2021**

अपीलार्थिगण:

1. रघुनाथसिंह पुत्र मालमसिंह
2. पीरसिंह पुत्र मालमसिंह
3. अमरसिंह पुत्र मालमसिंह
4. भंवरकंवर पुत्री मालमसिंह
5. अन्तरकंवर पुत्री मालमसिंह
6. मदनकंवर पुत्री मालमसिंह, आयु से तमाम वयस्क, जाति राजपूत, निवासीगण खन्दरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. जबरसिंह पुत्र पनेसिंह, जाति राजपूत, निवासी फतापुरा, तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 43/2014 बअनवान जबरसिंह बनाम रघुनाथसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2020

पैरोकार–

1. श्री नारायण कुमावत, श्री अमृत परिहार, श्री हीरालाल परिहार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 30.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 43/2014 बअनवान जबरसिंह बनाम रघुनाथसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रार्थीगण/अप्रार्थी पेश कर सरहद मौजा ग्राम फतापुरा तहसील बाली में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 157, 158, 159, 160, 161, 192, 163, 165, 166, 167, 175, 176, 185, 189, 190, 191 रकबा कमशरू 3.78 हेक्टेयर, 5.34 हेक्टेयर, 1.31 हेक्टेयर, 1.28 हेक्टेयर, 0.53 हेक्टेयर, 0.47 हेक्टेयर, 0.82 हेक्टेयर, 0.56 हेक्टेयर, 7.10 हेक्टेयर, 1.40 हेक्टेयर, 1.99 हेक्टेयर, 1.38 हेक्टेयर, 1.12 हेक्टेयर, 5.36 हेक्टेयर, 0.01

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हेक्टेयर कुल खसरा–16 कुल रकबा 32.55 हैक्टेयर में निहित अप्रार्थी/प्रार्थी जबरसिंह के 1/6 हिस्सा में शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में दखलदाजी नहीं किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि प्रकरण में उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/6 हिस्सा पर काबिज है। अपीलार्थीगण/अप्रार्थी ने जोत विभाजन हेतु राजस्व वाद संख्या 36/2014 रघुनाथसिंह वगैरा बनाम देवीसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर रखा है जो न्यायालय में लम्बित है, जिससे उक्त वाद धारा 10 सी.पी.सी से भी बाधित है। जिस तथ्य की अनदेखी कर भारी भूल की हैं। रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद मात्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 में मात्र 1/6 हिस्सा के सहखातेदार अपीलाथीगण को ही पक्षकार बनाया है एवं रेस्पोंडेन्ट मात्र 1/6 हिस्सा का ही सहखातेदार है शेष 2/3 हिस्सा के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रकरण में उल्लेखित वादग्रस्त कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट 1/6 हिस्सा का सहखातेदार है एवं 1/6 हिस्सा के सहखातेदार अपीलार्थीगण है। इस प्रकार एक सहखातेदार का अन्य सहखातेदार के विरूद्ध पोषणीय नहीं होने से वाद कानूनन पोषणीय नहीं हैं। रेस्पोंडेन्ट ने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी स्वयं के कब्जे की भूमि के विवरण उल्लेखित नहीं किये हैं, न ही पूर्व में विभाजन होने के तथ्य उल्लेखित किये है एवं वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत उपखण्ड न्यायालय में जोत विभाजन हेतु राजस्व वाद संख्या 36/2014 रघुनाथसिंह वगैरा बनाम देवीसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड न्यायालय बाली लम्बित है। जिसमें भी भूमि के जोत विभाजन हेतु रेस्पोंडेन्ट ने आदिवस तक स्वीकृति नहीं दी हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं की ओर से रेस्पोंडेन्ट/प्रार्थी जोत विभाजन के लिये तैयार होने के कथन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में गलत तौर से अंकित किये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.11.2020 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स को पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारी भूमि हैं तथा प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/6वां हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सहखातेदारान के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। यह स्वीकृत विधिक स्थिति है कि सहखातेदार को अन्य सहखातेदार के विरूद्ध धारा 188 के अंतर्गत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अविभाजित सहखातेदारी आराजी के संबंध में प्रत्येक सहखातेदार अपने हक हिस्से तक ऐसी आराजी के प्रत्येक भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है। जब तक सहखातेदार विधिवत विभाजन द्वारा अपना हिस्सा विभाजित नहीं करवा लेता, तब तक ऐसा सहखातेदार अन्य सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध करवाने का अधिकारी नहीं हैं तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः हमारे विनम्र मत में प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला ही नहीं बनता है, साथ ही चूंकि अविभाजित सहखातेदारी भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग पर कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग माना जाता है, ऐसी स्थिति में केवल एक सहखातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार एक सहखातेदार के आवेदन पर अविभाजित सहखातेदारी आराजी के अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किये जाने से ऐसे सहखातेदार अपने काश्तकारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से वंचित होते हैं। अतः उन्हें अपूरणीय क्षति संभव है, न कि प्रार्थी को। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विधिक स्थिति एवं तथ्यों पर गौर किए बिना एवं प्रकरण की विधिसम्मत विवेचना किए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभिलिखित सहखातेदारान अपीलांट्स को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद निरूद्ध कर कानूनन भूल की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 43/2014 बअनवान जबरसिंह बनाम रघुनाथसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली